

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 1400/2012/कोटा

सहायक आयुक्त, वृत्त-अ, कोटा।

.....अपीलार्थी.

बनाम्

मैसर्स वीनस गार्मेन्ट्स, गुमानपुरा, कोटा।

.....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ

श्री मदन लाल, सदस्य

उपस्थित : :

श्री अनिल पोखरणा,
उप-राजकीय अभिभाषक।

.....अपीलार्थी की ओर से.

श्री अशोक हंसारिया,
अभिभाषक।

.....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक :29.08.2014

निर्णय

अपीलार्थी सहायक आयुक्त, वृत्त-अ, कोटा (जिसे आगे "सशक्त अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा यह अपील उपायुक्त, वाणिज्यिक कर (अपील्स), अजमेर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा पारित अपीलीय आदेश दिनांक 19.04.2012 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है तथा जो अपील संख्या 06/वेट/2011-12/कोटा के संबंध में है एवम् जिसमें अपीलार्थी सशक्त अधिकारी द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 61 के तहत आरोपित कर रु. 20,120/- व शास्ति रु.40,241/- को अपीलीय अधिकारी द्वारा अपास्त किये जाने को विवादित किया गया है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी सशक्त अधिकारी द्वारा दिनांक 07.01.2011 को प्रत्यर्थी व्यवहारी के व्यवसाय स्थल को सर्वेक्षण करने पर व्यवसाय स्थल पर उपलब्ध स्टॉक का भौतिक सत्यापन करने पर रु. 4,02,409/- का कर योग्य माल का स्टॉक लेखा पुस्तकों से कम पाया गया। उक्त के संबंध में स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु अपीलार्थी सशक्त अधिकारी द्वारा नोटिस जारी किया गया। जारी नोटिस की पालना में प्रत्यर्थी व्यवहारी श्री ओम प्रकाश ने उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया कि उक्त करापवंचन की गलती वे स्वीकार करते हैं तथा उक्त कर चोरी के कारण आरोपण कर व शास्ति जमा करवाने को तैयार हैं। प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत जवाब के आधार पर अपीलार्थी सशक्त अधिकारी द्वारा कर व शास्ति आरोपित कर, आदेश पारित किया गया। उक्त पारित आदेश के विरुद्ध

लगातार.....2



प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार कर ली गयी । जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी सशक्त अधिकारी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गयी है ।

उभयपक्षीय बहस सुनी गयी ।

अपीलार्थी सशक्त अधिकारी की ओर से विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने उपस्थित पारित अपीलीय आदेश को अविधिक होना प्रकट कर, कथन किया कि अपीलार्थी सशक्त अधिकारी द्वारा जारी नोटिस की पालना में प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से प्रोपराईटर श्री ओम प्रकाश ने उपस्थित होकर लिखित जवाब प्रस्तुत कर, करापवचन की गलती स्वीकार की गयी है, उक्त जवाब रिकॉर्ड पत्रावली के पृष्ठ क्रमांक 23 व 24 पर मौजूद है। अग्रिम कथन किया कि उक्त प्रस्तुत जवाब करापवचन किये जाने की स्वीकारोक्ति है । अपने उक्त कथन के समर्थ में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने (1989) 5 आर.टी.जे.एस 60 स.वा.क.अ घट चतुर्थ वृत्त बी उदयपुर बनाम् मैसर्स राजा ग्लास हाउस के निर्णय को संदर्भित कर कथन किया कि उक्त निर्णय में माननीय न्यायालय ने यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि अपराध स्वीकृति के बाद कर निर्धारण प्राधिकारी को कुछ करने की आवश्यकता नहीं है । इसी प्रकार (1987) 22 आर.टी.जे.एस 76 (राजस्थान उच्च न्यायालय) में अभिनिर्धारित किया है कि व्यवहारी द्वारा दी गयी संस्वीकृति अपराध की श्रेणी में आती है। अतः विद्वान अपीलीय अधिकारी का निर्णय विधिसम्मत नहीं होने का कथन कर, उक्त पारित आदेश को अपास्त कर, अपीलार्थी सशक्त अधिकारी द्वारा पारित आदेश को पुनर्स्थापित (restore) करने की प्रार्थना की गयी ।

प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने उपस्थित होकर पारित अपीलीय आदेश का समर्थन कर, कथन किया कि प्रत्यर्थी व्यवहारी राज्य से व राज्य के बाहर से स्कूल यूनीफार्म बनवाने हेतु कर मुक्त कपड़ा क्रय करता है एवम् विभिन्न स्कूलों की विभिन्न साईजों की स्कूल यूनीफार्म तैयार/सिलवाकर विक्रय करता है । कथन किया कि अपीलार्थी सशक्त अधिकारी द्वारा रु.27,732/-का कपड़ा घोषित स्टॉक से कम उपलब्ध होना मानकर उक्त की उच्चन्ति विक्रय होना अवधारित कर, उक्त क्रय राशि में 20 प्रतिशत की दर से सिलाई का खर्चा जोड़कर कुल राशि रु.33,238/- के रेडीमेड गार्मेन्ट की उच्चन्ति विक्रय होना मानकर, 5 प्रतिशत की दर से कर व करापवचन के अपराध में अधिनियम की धारा 61 के तहत कर की दोगुना



शास्ति आरोपित कर, आदेश पारित किया गया है । कथन किया कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा बड़े पैमाने पर कर मुक्त कपड़ा कय स्कूल यूनीफार्म तैयार करवाता है जिसके लिये उसे कपड़ा दर्जी के पास सिलाई हेतु भिजवाया जाता है एवम् उक्त प्रक्रिया निरन्तर रहती है एवम् उक्त कारण से कपड़े का स्टॉक वक्त सर्वेक्षण जांच अधिकारी द्वारा व्यवसाय स्थल पर लेखा पुस्तकों से कम पाया गया । कथन किया कि वक्त सर्वेक्षण रु.20,33,397/- की रेडीमेड स्कूल यूनीफार्म का स्टॉक मौजूद था एवम् भौतिक सत्यापन पर भी उक्त राशि का ही स्टॉक मौजूद था परन्तु स्कूल यूनीफार्म की कीमत व साईज के आधार पर अलग-अलग होती हैं एवम् जांच के समय कुछ यूनीफार्म की साईज के आधार पर मूल्यांकन नहीं होकर कम दर से मूल्यांकन हो गया है । इसी कारण भौतिक सत्यापन पर रु.19,42,380/- का स्टॉक होना जांच अधिकारी द्वारा माना गया । विशिष्ट रूप से कथन किया कि निर्धारण वर्ष 2011-12 में किये गये सर्वेक्षण के दौरान प्रत्यर्थी व्यवहारी का वास्तविक लाभ 13 प्रतिशत था एवम् निर्धारण वर्ष 2009-10 में 15.35 था । अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा गत वर्ष के आधार पर अर्थात् निर्धारण वर्ष 2010-11 का लाभांश मानते हुये लेखापुस्तकों में दर्ज स्टॉक की कीमत रु.23,11,551/-होना मानी है जबकि वास्तव में स्टॉक की कीमत रु.20,33,397/- ही है । अतः वास्तविक लाभांश को गत वर्ष के आधार पर बढ़ाते हुये रु.3,69,171/-का स्टॉक कम होना अवधारित कर, मांग राशियां कायम की गयी हैं जिसे अपास्त करने में अपीलीय अधिकारी द्वारा कोई विधिक त्रुटि नहीं की गयी है ।

उभयपक्षीय बहस पर मनन किया गया । रिकॉर्ड का परिशीलन किया गया । रिकॉर्ड के परिशीलन से विदित होता है कि प्रत्यर्थी व्यवहारी विभिन्न स्कूल यूनीफार्म हेतु कपड़ा कय कर, विभिन्न साईजों की यूनीफार्म तैयार करवाकर विक्रय करता है । इस संबंध में रिकॉर्ड पत्रावली पर उपलब्ध दस्तवेजों से यह स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी व्यवहारी के व्यवसाय स्थल का सर्वेक्षण दिनांक 07.01.2011 को करने पर तैयार की गई ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार शूटिंग शर्टिंग का कपड़ा रु.16,90,360/- दिनांक 07.01.2011 को स्टॉक में मौजूद था जबकि भौतिक सत्यापन पर रु.16,62,628/- का स्टॉक पाया गया था इस प्रकार रु.27,732/- का कपड़े का स्टॉक कम पाया गया । उक्त कम पाये गये स्टॉक के आधार पर अपीलार्थी सशक्त अधिकारी ने यह अवधारित किया कि उक्त कम पाये गये स्टॉक से प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा रेडीमेड गारमेन्ट

सिलवाकर उच्चन्ती विक्रय कर दिया। अतः अपीलार्थी सशक्त अधिकारी ने उक्त में सिलाई का खर्चा जोड़ते हुये रु.33,238/- के उच्चन्ती रेडीमेड गारमेन्ट विक्रय करना मानकर अतिरिक्त कर एवं शास्ति आरोपित कर, आदेश पारित किया गया। इस संबंध में उल्लेखनीय है कि करारोपण करने से पूर्व अपीलार्थी सशक्त अधिकारी द्वारा किसी प्रकार की जांच किये बिना ही, विक्रय को प्रमाणित करने के सम्बन्ध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य एकत्रित नहीं किये है। बिना विक्रय प्रमाणित किये केवल अनुमान के आधार पर कर व शास्ति आरोपित करना उचित नहीं है। प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा आलोच्य अवधि में कपड़े का विक्रय करना रिकॉर्ड पर उपलब्ध है। प्रत्यर्थी व्यवहारी कपड़ा क्रय कर उससे विभिन्न साईज की स्कूल यूनिफार्म सिलवाने हेतु दर्जी को भिजवाता है और वहां से सिली हुयी स्कूल यूनिफार्म प्राप्त कर, उक्त का विक्रय करता है और ये प्रक्रिया निरन्तर चलती रहती है ऐसे में कुछ कपड़े का स्टाम दर्जी के पास भी रह जाता है जिसे भौतिक सत्यापन पर नहीं जोड़ा गया है इसलिये केवल कल्पना के आधार पर रु.33,238/- पर कर एवं शास्ति आरोपित करना उचित नहीं है। कथित बिक्री के संबंध में सक्षम अधिकारी द्वारा कोई भी दस्तावेज/जांच अथवा निष्कर्ष का अवलम्बन नहीं लिया है, केवल मात्र कल्पना के आधार पर लाभांश जोड़ कर, करारोपण किया गया है जो विधिसम्मत एवम् उचित नहीं है।


ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार लेखापुस्तकों में सर्वेक्षण की तिथि को रु. 20,33,397/- की रेडीमेड स्कूल यूनिफार्म का स्टॉक मौजूद था जिसमें 13 प्रतिशत लाभांश की गणना की गई थी। प्रत्यर्थी व्यवहारी को गत वर्ष 15.35 प्रतिशत लाभांश प्राप्त हुआ था इसलिये अपीलार्थी सशक्त अधिकारी ने निर्धारण वर्ष 2010-11 की अवधि में भी गत वर्ष 2009-10 के लाभांश के आधार पर लेखा पुस्तकों में दर्ज रेडीमेड स्टॉक की कीमत रु.23,11,551/- अवधारित की गयी है जो उचित नहीं है। प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा संद्वरित लेखा पुस्तकों में वास्तविक लाभ को प्रदर्शित किया गया है जिसे बिना किसी जांच व आधार के बढ़ाना न्यायोचित एवं विधिसम्मत नहीं है। वक्त सर्वेक्षण अपीलार्थी सशक्त अधिकारी द्वारा दो स्वतंत्र गवाहों की उपस्थिति में भौतिक सत्यापन फर्द तैयार की गयी है जिस पर प्रत्यर्थी व्यवहारी के हस्ताक्षर मौजूद है जिसके अनुसार स्टॉक में मौजूद माल की कीमत रु.19,42,380/- अवधारित की गयी जो उचित है। अतः लेखा पुस्तकों में दर्ज रेडीमेड स्टॉक

अपील संख्या - 1400/2012/कोटा

की वास्तविक कीमत रू.20,33,397/- में से रू.19,42,380/- के भौतिक सत्यापन पर मिले माल को कम करने के पश्चात् रू.91,017/- का माल कम पाया गया है। अतः उक्त का उच्चन्ती विक्रय करना अपीलीय अधिकारी द्वारा उचित रूप से प्रमाणित किया गया है। अतः उक्त पर 5 प्रतिशत से आरोपित कर रू.4,551/- व कर की दोगुना शास्ति रू.9,102/- जो कि अधिनियम की धारा 61 के तहत आरोपित शास्ति की पुष्टि करने में भी अपीलीय अधिकारी द्वारा कोई विधिक त्रुटि नहीं की गयी है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्णित व अपीलार्थी के विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक द्वारा प्रोद्धरित न्यायिक दृष्टांत हस्तगत प्रकरण से भिन्न होने व प्रार्थी व्यवहारी द्वारा अपराध स्वीकारोक्ति नहीं होने के कारण हस्तगत प्रकरण में लागू किये जाने योग्य नहीं है। अतः अपीलार्थी सशक्त अधिकारी द्वारा बिना किसी अग्रिम जांच व आधार के केवल मात्र अनुमान के आधार पर किये गये करारोपण विधिसम्मत एवम् उचित नहीं होने के कारण विधिक रूप से अपास्त किया गया है। अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश विस्तृत विश्लेषण कर, किये गये करारोपण को अपास्त किया गया है। अतः पारित अपीलीय आदेश में हस्तक्षेप का कोई विधिक औचित्य नहीं होने के कारण उक्त की पुष्टि की जाकर, अपीलार्थी सशक्त अधिकारी द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है।

परिणामतः, अपीलार्थी सशक्त अधिकारी द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।


28.8.2014
(मदन लाल)
सदस्य